न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00061RAAJodhpur2019-26RTA223 Durgaram ors Vs Jagmalram etc

1. दुर्गाराम पुत्र श्री हीराराम
2. भीयाराम पुत्र श्री हीराराम
3. बबुराम पुत्र श्री हीराराम
4. सोहनराम पुत्र श्री हीराराम
5. मनोहरलाल पुत्र श्री हीराराम

सभी जातियान् सुथार निवासीगण डाबडी, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जगमालराम पुत्र श्री नरींगाराम, जाति सुथार, निवासी डाबडी तहसील औसिया जिला जोधपुर।
2. रामलाल पुत्र श्री नरींगाराम
3. घेवरराम पुत्र श्री नरींगाराम
4. हनुमानाराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
5. हुकमाराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
6. चम्पालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
7. पप्पूदेवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण
8. भंवरलाल पुत्र श्री जेठाराम

सभी जातियान् सुथार, निवासीगण डाबड़ी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार ओसियां।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जनवरी 2019 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 129/2017 जगमालराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री रोधश्याम लोहिया, श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06, 07

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 129/2017 अनवान जगमालराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 फरवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि गांव डाबड़ी तहसील औसिया के खेत खसरा नं0 299 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 375 रकबा 11 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नं0 376 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्डन किया गया विद्वान न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा के आधार मामले में तनकीयात कायम किये गये तथा उभय पक्ष से साक्ष्य ली गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दिनांक 23 जनवरी 2023 को वादी का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम डाबड़ी के खसरा नंबर 299 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से के खातेदार वादी के पिता नरींगाराम तथा वादी जगमालराम ने दिनांक 10.05.1963 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता स्व. हीराराम जी से प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी का कब्जा सौंप दिया तथा बेचाननामा लिखवाकर वादी जगमालराम व उसके पिता नरींगाराम ने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ करके दे दिया। वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से लगातार अपने जीवनकाल तक हीराराम जी काबिज रहे तथा स्व. हीराराम जी के देहात के बाद प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 से 5 लगातार काबिज चले आ रहे है तथा वादी ने अपने दावे में भूमि सामलाती कब्जे की होने का तथ्य गलत बताया है। वादी व वादी के पिता का बाद बेचान से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। वादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा सौंप दिया तथा कब्जा सौंपने के 12 वर्ष के भीतर कब्जा प्राप्ति का कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया। जिस कारण वादी व वादी के पिता के जो भी खातेदारी अधिकार थे, वे धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार समाप्त हो गये तथा समाप्त हुए खातेदारी अधिकार पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को विधिनुसार विवेचन किये बिना तथा मामले का तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जनवरी 2019 को खारिज किया जावे एवं म्याद बाबत उपर वर्णित तनकी को विलोचित कर उस पर साक्ष्य सबूत लेकर नये सिरे से निर्णय करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इस्तगासे मामले में रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी मुख्यतः पक्षकार है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित नहीं किया है। माननीय न्यायालय द्वारा मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी तय करते हुए तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते वक्त उक्त तनकीयात को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध लिखत दिनांक 10.05.1963 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता नरसींगाराम पुत्र बगतारामजी साकिन डाबड़ी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 299

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 29.13 बीघा में सें आधे हिस्से की भूमि अपीलांट्स के पिता हीराराम को बेचान किया जाना पाया जाता है। वादी जगमालराम द्वारा दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि हीरारामजी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि पर दुर्गाराम वगैरह काश्त करते आ रहे है तथा वादी द्वारा पुलिस थाना में मुकदमा किये जाने पर पर पुलिस द्वारा मामले में एफ.आर. दी जाकर दुर्गाराम वगैरह का कब्जा काश्त माना है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर वादी का वाद डिक्री किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवचेन नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 129/2017 अनवान जगमालराम बनाम दुर्गाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जनवरी 2019 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वाद का विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर